PM2A0N1Y1A1T2AY

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

सेवा में,

प्रबन्धक
ए0एल0वाई कान्वेन्ट स्कूल,
मधुबन नगर, मियॉगंज, उन्नाव।

पत्रांक:मान्यता–8(6)/बेसिक/3129–33 /2012–13 दिनांक: 30 जुलाई 2012

विषयः **शिक्षा सत्र 2011–12 से प्राथमिक स्तर कक्षा 1–5 स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

आप द्वारा कक्षा 1–5 प्राथमिक स्तर की शिक्षा सत्र 2011–12 में आवेदित की गई नवीन अस्थाई मान्यता के सन्दर्भ में प्रकरण पर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या, अभ्युक्ति के आलोक में शासनादेश 442/79–6–2011 दिनांक 19 मई 2011 दिनांक 19 मई 2011 में प्रावधानित जनपदीय मान्यता समिति की दिनांक 28 जुलाई 2012 को सम्पन्न हुई बैठक में शासनादेश दिनांक 19.5.2011 में दिये गये प्रावधानों/मान्यता को शर्तों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 तथा तथा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के प्रावधानों के अर्न्तगत लिये गये निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर कक्षा 1–5 की कक्षायें संचालित करने हेतु नवीन अस्थाई मान्यता शिक्षा सत्र 2011–12 से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है। भविष्य में भी निम्न प्रतिबन्धों की पूर्ति करने विषयक शपथ पत्र एक सप्ताह की अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

1 **सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा–21 के अर्न्तगत पंजीकृत विद्यालय संचालनकर्ता समिति के पंजीयन का नवीनीकरण समय समय पर कराया जायेगा। नवीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।**

2 **विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्राप्त कक्षाओं के अतिरिक्त पूर्ववर्ती/पश्चातवर्ती मान्यता विहीन कक्षायें संचालित नहीं की जायेंगीं।**

3 **विद्यालय की मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 5 में बिना धार्मिक, जातिगत, राजनीतिक अथवा अन्य किसी अन्य भेदभाव के, प्रवेश हेतु इच्छुक बालक–बालिकाओं को नियमानुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा। किसी बालक–बालिका को शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश, निर्धन परिवारों के छात्र–छात्राओं को प्रदान किया जायेगा।**

4 **शासनादेश दिनांक 19.5.2011 में निर्धारित प्रतिबन्धों के अनुसार रु0 5,000/– के सुरक्षित कोष, निर्धारित अर्हतायुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, पुस्तकालय, विज्ञान सामग्री, क्रीड़ा उपकरण, शिक्षण सामग्री तथा प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।**

5 **विद्यालय के भवन का उपयोग मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्तर (1–5)की कक्षाओं के शिक्षण कार्य/शैक्षिक किया कलापों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्तिगत/सामाजिक/व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।**

6 **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के बालक–बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु विद्यालय में नियमानुसार पंजीकृत एवं शिक्षा प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने वाले पात्र बालक–बालिकाओं की सूची समय–समय पर प्रसारित शासन/विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षा सत्र में निर्धारित अवधि तक संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने का दायित्व विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक का होगा।**

7 **विद्यालय संचालन से संबंधित प्रत्येक किया कलाप/प्रवेश प्राप्त करने वाले/शिक्षारत प्रत्येक बालक–बालिका का पूर्ण रिकार्ड अनुरक्षित किया जायेगा। विभाग द्वारा अपेक्षित किये जाने पर सूचना/अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विद्यालय से संबंधित अपेक्षित की गई कोई भी सूचना प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक द्वारा तत्काल संबंधित सरकारी विभाग/अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। विद्यालय संबंधी किसी भी तथ्य का गोपन नहीं किया जायेगा।**

8 **नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2009) की धारा 38 के अर्न्तगत शासनादेश सं0 2510/79–5–2011–29/09 दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में निर्धारित मानकों का अनुपालन भविष्य में पूर्णरुपेण सुनिश्चित किया जायेगा।**

9 **विद्यालय संचालन उसी भूमि/भवन पर किया जायेगा जिसमें प्राथमिक स्तर कक्षा 1–5 की अस्थाई नवीन मान्यता प्रदान की जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की नियमानुसार प्रदत्त पूर्व अनुमति के बिना मान्यता आदेश में उल्लिखित स्थल/क्षेत्र से इतर विद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा/भवन परिवर्तित नहीं किया जायेगा/विद्यालय का संचालन बन्द नहीं किया जायेगा।**

शासनादेश सं0 2510/79–5–2011–29/09 दिनांक 27 जुलाई 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 अथवा शासनादेश दिनांक 19.5.2011में प्रावधान मान्यता के मानकों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में शासनादेश सं0 442/79–6–2011 दिनांक 19 मई 2011 की धारा–12 के अर्न्तगत विद्यालय को इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व विद्यालय संचालनकर्ता समिति का होगा।

भवदीय
30/7/12
डा0(मुकेश कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

पृ0सं0 /2012–13 दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2.मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) षष्ट मण्डल लखनऊ।
3.जिला समाज/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलॉग कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
4.खण्ड शिक्षा अधिकारी **मियॉगंज** उन्नाव।

डा0(मुकेश कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

प्रेषक, <u>रजिस्टर्ड</u>

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ए0 एल0 वाई0 मैनपुरिया हाईस्कूल,

मधुवन नगर, मियागंज चौराहा, उन्नाव।

पत्रांकःमा0शि0प0 / मान्यता(इ) / 74 दिनांक 3-7-2013

विषयः सीधे /हाईस्कूल नवीन (6से10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा [illegible] के अन्तर्गत आपकी संस्था ए0 एल0 वाई0 मैनपुरिया हाईस्कूल, मधुवन नगर, मियागंज चौराहा उन्नाव... को बालक / ~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष .....2015.....से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–7 क (क) के प्रावधानो के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया हैः–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1.) प्रबन्धाधिकरण कक्षा–9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2.) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3.) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4.) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5.) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबंन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6.) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नही होगी।

टिप्पणी– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या :मा0शि0प0 / मान्यता(इ) / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला विद्यालय निरीक्षक,उन्नाव।
2. संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,लखनऊ।
3. हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ए० एल० वाई मैनपुरिया

इ० का० मियागंज उन्नाव

पत्रांक:आई०वी०मान्यता / 625 दिनांक– 26-7- 2014

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति,माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष–2016 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के प्रावि[illegible]गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालि[illegible] पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था,शिक्षण व्यवस्था,साज–सज्जा,शिक्षणसामग्री,प्रयोगशाला,भूमि/भवन,पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय,अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

(कृ०प०उ०)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी.जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत(जमानत) की धनराशि रू0 15000/=(रू0 5000=00 एवं रूपये 3000=00 प्रति वर्ग/प्रति विषय की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/200[illegible] मनु अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान0 उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2012 के विरूद्ध मान0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर मानविकी वर्ग नवीन	हिन्दी	अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, चित्रकला, एवं इतिहास।
इण्टर वैज्ञानिक वर्ग	हिन्दी	अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, एवं जीव विज्ञान।
इण्टर वाणिज्य वर्ग	हिन्दी	विवरण पत्रिकानुसार मान्य सभी विषय।

टिप्पणीः–उक्त पंत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्याःआई0वी0मान्यता/ दिनांक- 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3– सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,मुख्य कार्यालय,इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।